न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 50 / 2022

गुलाबचन्द बनाम श्री कनाराम वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
29.8.24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी उपस्थित । अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष वादी मे शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया । अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे बताया कि ग्राम मौजा मामादेव की भागल पटवार हल्का कालिंजर तहसील कुम्भलगढ की आराजी नंबर 308 / 80 रकबा 0.3348 हैक्टेयर, आराजी नंबर 309 / 80 रकबा 0.3240 हैक्टेयर व आराजी नंबर 321 / 85 रकबा 0.9180 हैक्टेयर भूमियां सहखातेदारी की भूमिया है जिसका विभाजन नही हुआ है वादी अपने को प्राप्त होने वाले हिस्से को उन्नत बनाना चाहता है परन्तु भूमिया सहखातेदारी की है जिससे कठिनाई का सामाना करना पड रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक को मौके पर काबिज एवं जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन करने क लिये कहा तो नही मान रहा है ।अतः जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पर विभाजन हेतु प्रारंभिक डिक्री जारी करवाई जावे । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता वादी जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार विभाजन हेतु सहमत होने से जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार विभाजन हेतु प्रारंभिक डिक्री जारी करने का आदेश दिया जाता है व तद्नुसार प्रारंभिक डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । पालना हेतु प्रारंभिक डिकी की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुम्भलगढ को भेजी जावे । पत्रावली प्रांरभिक डिक्री की पालना इन्तजार मे दिनांक 10.10.2024 को पेश हो । सहायक कलक्टर (एस.डी ओ.) कुम्भलगढ जिला–राजसमन्द	